प्रेस विज्ञप्ति

03.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और निदेशकों/प्रमोटरों अर्थात विजय गुप्ता, अमित गुप्ता वगैरह और मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रमोटर/निदेशक निर्मल सिंह उप्पल, विधुर भारद्वाज वगैरह के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में 14 स्थानों पर 25.11.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है।

ईडी ने घर खरीदने वालों और निवेशकों की शिकायतों के आधार पर पीएस ईओडब्ल्यू नई दिल्ली द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और बाद में ईओडब्ल्यू नई दिल्ली द्वारा एफआईआर 137/17 के संबंध में एक चार्जशीट भी दायर की गई। आरोपी कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा सैकड़ों घर खरीदने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए गए थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रीनपोलिस नामक एक आवासीय समूह हाउसिंग सोसाइटी विकसित करने के लिए एक सहयोग समझौता किया, जो सेक्टर 89, गुरुग्राम, हरियाणा में ओरिस समूह के स्वामित्व वाले 47 एकड़ (लगभग) □□□□□ पर स्थित है, जबकि उक्त आवासीय सोसाइटी के विकास अधिकार मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे। हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों/निदेशकों के माध्यम से मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलीभगत करके एक आपराधिक साजिश रची और निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा नहीं करके और घर खरीदारों और निवेशकों को आवासीय इकाइयों की डिलीवरी नहीं करके घर खरीदारों की मेहनत की कमाई को हड़प लिया।

तलाशी अभियान के दौरान, डायवर्जन, निधियों के स्तरीकरण, संपत्ति के दस्तावेज और उपरोक्त संस्थाओं की अन्य परिसंपत्तियों के विवरण जैसे बिक्री विलेख, पंजीकरण विलेख आदि से संबंधित कई अपराध-संकेती दस्तावेज, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव आदि जैसे विभिन्न डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर में रखे गुप्त लॉकरों से भी कई दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त, ओरिस ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के नाम पर 31.22 करोड़ रुपये की विभिन्न एफडी और बीजी को फ्रीज कर दिया गया और जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, प्रमोटरों से संबंधित बैंक खाते और लॉकर फ्रीज कर दिए गए और ओरिस ग्रुप के एक निदेशक/प्रमोटर के आवास से मर्सिडीज, पोर्श, बीएमडब्ल्यू आदि जैसी 04 लग्जरी कारें जब्त की गईं।

आगे की जांच जारी है।

HONOR 90
200MP Matrix Camera
02/12/2024 16:09